माननीय न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर केंप उज्जैन

प्रकरण कं0 R 2118- PBP/13

मोकमसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
निवासी पिपलोदा जिला रतलाम
.....आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्व

01. राजेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
निवासी फ्रीगंज राजस्व कॉलोनी मकान नं. 10, उज्जैन जिला उज्जैन
02. विरेन्द्रसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
निवासी ग्राम रिगनोद तहसील जावरा
03. दिलीपसिंह पिता कालुसिंह राजपूत
निवासी धाकडपुरा जावरा जिला रतलाम
.....अनावेदक / प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0सं

न्यायालय कलेक्टर, जिला रतलाम म.प्र. द्वारा प्रकरण कमांक 11 / निगरानी / 11–12 में दिनांक 05.02.2013 कों जो आदेश पारित किया हैं उससे असंतुष्ट होकर

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निगरानी माननीय न्यायालय में सादर प्रस्तुत हैं :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

01 , यह कि, प्रतिप्रार्थी 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पिपलोदा के समक्ष आवेदन पत्र पारिवारिक विभाजन (बटवारा) हेतु प्रस्तुत संयुक्त परिवार की भूमि स्वामी स्वत्व की पेतृक खाता क्रमांक 1226 / 186 कुल किता 2 कुल रकबा 12.234 हे. श्रीमती गंगाबाई पति स्व. कालूसिंह आदि के नाम ग्राम पिपलोदा मे दर्ज है। इस खाते मे गंगाबाई की मृत्यु हो गई एवं पुत्री प्रेमलताबाई का नाम छूट गया। अतः प्रेमलताबाई का नाम दर्ज करके प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 राजेन्द्रसिंह द्वारा अपने हिस्से की प्राप्त भूमि सर्वे नं. 1297 रकबा 2.590 हे. अपने नाम बटवारे का आवेदन प्रस्तुत कर संलग्न बटवारा फर्द अनुसार भूमि पृथक करने का अनुरोध किया। प्रकरण के विचारण के दौरान प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 राजेन्द्रसिंह द्वारा एक आवेदन पत्र आदेश 22 नियम 4 का प्रस्तुत किया की फर्द बटवारा मौके के कब्जे के मान से तलब कि गई है।

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-2118-पीबीआर/13 **जिला** - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री प्रदीप मेहता उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	